UPSI010043572021

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित – आशीष जैन (एच०जे०एस०)
(**J.O.Code UP02024**)
सत्र परीक्षण संख्या–802/2021
CIS No.802/2021

सरकार उ0प्र0 ——**अभियोजक।**

बनाम

1. राजेन्द्र उम्र 46 वर्ष पुत्र मोती लाल
2. विशम्भर पाल उम्र 45 वर्ष पुत्र सोहन पाल
3. सर्वेश पाल उम्र 35 वर्ष पुत्र मोती लाल
सर्वनिवासीगण ग्राम रतौली थाना लहरपुर जिला सीतापुर।

——**अभियुक्तगण।**

मु0अ0सं0–152/2021
धारा–307/34,323/34,506 भा0दं0सं0
थाना– लहरपुर जिला–सीतापुर।
अधिवक्तागण :–
राज्य की ओर से :
श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला,D.G.C.Crl.
श्री गौरव कुमार मिश्रा(ए.डी.जी.सी.(क्रिमि.)
बचाव पक्ष की ओर से :
श्री आशीष सिहं (एड.)
श्री राकेश वर्मा (एड.)

निर्णय

थाना लहरपुर जिला सीतापुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण राजेन्द्र व सर्वेश के विरूद्ध मु0अ0सं0 152/2021 धारा 323,506,307 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप पत्र तथा अभियुक्त विशम्भर के विरूद्ध धारा 323,506,307 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत पूरक आरोप पत्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सीतापुर को प्रेषित किया गया, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सीतापुर द्वारा आरोप पत्र पर दिनांक 21.06.2021 व अनुपूरक आरोप पत्र पर दिनांक 05.08.2021 को प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त मामले के अनन्यतः सत्र परीक्षणीय होने के उपरान्त

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.07.03 17:06:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,
Sitapur.

दिनांक 02.09.2021 को सत्र सुपुर्द किया गया।

अभियोजन कथानक तहरीर (प्रदर्श क–1) के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जगदीश गिरि द्वारा हस्तलिखित प्रार्थनापत्र दिनॉक 22.03.2021 को थाना लहरपुर में इस आशय का दिया गया है कि ''प्रार्थी के खेत के बाबत में पुरानी रंजिश मानकर आज दिनांक 22.03.2021 को समय लगभग 4 बजे दिन में हमारे गांव के ही विशम्भर पुत्र सोहनलाल जाति गड़रिया व राजेन्द्र, सरवेस पुत्रगण मोतीलाल, जाति गड़रिया निवासीगण ग्राम रतौली कोतवाली लहरपुर जनपद सीतापुर एक राय होकर प्रार्थी के लड़के उमेश गिरि से कहा कि खेत हमारा है और खेत में बोया गन्ना भी हमारा है। जब वादी मुकदमा व उसके लड़के ने इस बात पर आपत्ति की तो उपरोक्त लोगों ने कहा कि आज उमेश को मार देंगे। यह कहते हुए तीनों लोग फावड़ा लेकर दौड़े और फावड़े से विशम्भर ने उसके लड़के के ऊपर फावड़े से जान से मारने की नीयत से सिर पर कई वार किये। काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन मारते रहे, जिससे सिर पर काफी गम्भीर चोटे आयी तथा वादी मुकदमा का बेटा मरणासन्न हो गया। मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।''

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना लहरपुर की पुलिस द्वारा मामले में मु0अ0स0 152/2021 अन्तर्गत धारा 323,506,307 भा0दं0सं0 चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–10 किता कर अभियुक्तगण विशम्भर, राजेन्द्र व सरवेस के विरूद्ध धारा 323,506,307 भा0दं0सं0 दर्ज किया गया, जिसका खुलासा रपट नं056 दिनांक 22.03.2021 को 18.00 बजे कोतवाली लहरपुर जिला सीतापुर में किया गया।

वादी मुकदमा के पुत्र उमेश गिरि का चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सक डॉ० समीउददीन खॉं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लहरपुर द्वारा किया गया। चिकित्सक द्वारा मजरूब की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–3 तैयार की गई।

विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 एवं फर्द बरामदगी प्रदर्श क–5 एक अदद लाठी बॉस एवं एक अदद डण्डा बास कब्जे में लिया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर नामित अभियुक्त **राजेन्द्र पाल एवं सर्वेश पाल** के विरूद्व आरोप पत्र प्रदर्श क–7 मुकदमा अपराध संख्या 152/2021 अर्न्तगत **धारा 323,506,307 भा0दं0सं0 एवं अभियुक्त विशम्भर पाल** के विरूद्व आरोपपत्र प्रदर्श क–9 अर्न्तगत

धारा 323, 506, 307 भा0दं0सं0 न्यायालय में प्रेषित किया।

अभियुक्त राजेन्द्र पाल व सरवेश पाल के विरूद्व विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2021 को आरोप अंतर्गत धारा 307/34, 323/34, 506 भा0दं0सं0 एवं अभियुक्त विशम्भर पाल के विरूद्व आरोप अर्न्तगत धारा 323/34,307,506 भा0दं0सं0 का विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया, समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने केस के समर्थन में निम्नलिखित **साक्षी परीक्षित** कराये गये हैं–

1–अभियोजन साक्षी सं०–01	जगदीश गिरि वादी मुकदमा
2–अभियोजन साक्षी सं०–02	उमेश कुमार पुत्र वादी मुकदमा
3–अभियोजन साक्षी सं०–03	प्रताप भाई वादी मुकदमा
4–अभियोजन साक्षी सं०–04	कमल गिरि, रिश्तेदार वादी मुकदमा
5–अभियोजन साक्षी सं०–05	डॉ० इन्द्र सिंह, व० रेडियोलाजिस्ट
6–अभियोजन साक्षी सं०–06	डॉ० समीउददीन खॉं, चिकित्सक
7–अभियोजन साक्षी सं०–07	जितेन्द्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक
8–अभियोजन साक्षी सं०–08	सूर्यपाल सिंह, हेड मोहर्रिर

अभियोजन की ओर से साक्ष्य समाप्त किये जाने का पृष्ठॉकन आदेश पत्र पर किया गया है जिसके अनुक्रम में अभियोजन का साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से **प्रलेखीय साक्ष्य** के रूप में निम्नलिखित अभिलेख दाखिल किये गये हैं–

1–तहरीर प्रदर्श क–01	(पी०डब्लू०–01 वादी मुकदमा)
2–एक्स–रे रिपोर्ट को प्रदर्श क–2	(पी०डब्लू०–05 डॉ० इन्द्र सिंह)
3–चिकित्सीय रिपोर्ट पर प्रदर्श क–3	(पी०डब्लू०–06 चिकित्सक समीउद्दीन)
4–नक्शा नजरी प्रदर्श क–4	(पी०डब्लू०–07 उ०नि० जितेन्द्र कुमार)
5–फर्द बरामदगी प्रदर्श क–5	(पी०डब्लू०–07 उ०नि० जितेन्द्र कुमार)
6–नक्शा–नजरी बरामदगी प्रदर्श क–6	(पी०डब्लू०–07 उ०नि० जितेन्द्र कुमार)
7–आरोप पत्र प्रदर्श क–7	(पी०डब्लू०–07 उ०नि० जितेन्द्र कुमार)
8–फर्द फावडा,प्रदर्श क–8	(पी०डब्लू०–07 उ०नि० जितेन्द्र कुमार)
9–पूरक आरोप पत्र प्रदर्श क–9	(पी०डब्लू०–07 उ०नि० जितेन्द्र कुमार)

10–चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क–10 (पी०डब्लू०–08 उ०नि० सूर्य पाल सिंह)
11–नकल जी०डी० प्रदर्श क–11 (पी०डब्लू०–08 उ०नि० सूर्य पाल सिंह)

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 29.06.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत व निराधार बताते हुये विवेचक द्वारा विवेचना त्रुटिपूर्ण किया जाना कहा है। अभियुक्तगण ने साक्षीगण द्वारा रंजिशवश साक्ष्य दिया जाना तथा स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया गया है तथा रंजिश के कारण उक्त मुकदमें में फॅसाया जाना कहा है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई में साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया गया है।

मैनें अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण राजेन्द्र पाल एवं सर्वेश पाल एवं अभियुक्त विशम्भर पाल का विचारण धारा 307/34, 323/34, 506 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के लिये आरोपित करते हुये किया गया है।

दाण्डिक न्याय शास्त्र का पूर्णतयाः तय सिद्वान्त है कि अभियोजन को अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध के आवश्यक तत्व को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्तगण को अवश्य मिलना चाहिये।

उक्त के संदर्भ में प्रस्तुत मामले में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों के अभिकथनों के बाबत दिये गये तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के आलोक में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये सभी साक्षियों के अभिकथनों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसका क्रमवार विवरण अग्रवत है :–

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू01 वादी मुकदमा जगदीश गिरि** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''घटना आज से लगभग पांच साल पहले की है। तारीख,दिन व साल मुझे नहीं मालूम है, समय शाम के चार बजे का था। उक्त अभियुक्तगण एक राय होकर मेरे लडके उमेश गिरि से कहा कि हमारा खेत है और खेत में बोया गन्ना भी

हमारा है। जबकि मेरे लडके ने कहा कि जिसमें गन्ना बोया है वह खेत मेरा है, इसी बात को लेकर वाद विवाद होने लगा और मेरे लडके ने गन्ना काटने से मना किया तो उपरोक्त विपक्षीगण/अभियुक्तगण ने फावडे से व लाठी डण्डो से मारने पीटने लगे जिससे मेरे बेटे को सिर पर काफी चोटे आयी थी। चोटो के कारण मौके पर मेरा लडका गिर कर बेहोश हो गया था। काफी शोर शराबा होने पर गांव के बहुत से लोग व मैं मौके पर पहुँचे तो देखा कि मेरा लड़का बेहोशी की हालत में पडा है। अभियुक्तगण गांव के लोगो को व मुझे देखकर भाग गये थे, भागते हुये अभियुक्तगणों को मैने अपनी आंखो से देखा था। मैं अपने लडके को बेहोशी की हालत में उठाकर घर पर लाया था फिर गांव के लोगो ने एम्बुलेन्स को बुलाया था, जिस पर लादकर मैं अपने लडके को साथ में लेकर सरकारी अस्पताल लहरपुर ले गया था वहां पर मौजूद डाक्टरो द्वारा मेरे लडके की चोटो का प्राथमिक उपचार किया था, परन्तु मेरे लड़के की हालत गम्भीर होने के कारण डाक्टरो ने जिला अस्पताल सीतापुर के लिये रिफर कर दिया था सीतापुर जिला अस्पताल में एक दिन भर्ती करके इलाज किया गया था सीतापुर जिला अस्पताल में एक्सरे भी हुआ था उसके बाद जिला अस्पताल सीतापुर से हालत गम्भीर होने के कारण मेडिकल कालेज लखनऊ के लिये रिफर कर दिया था मेडिकल कालेज लखनऊ में दो दिन भर्ती करके इलाज किया गया था लखनऊ में मेरे लड़के के सिर में टांके भी लगे थे। उसके बाद कुछ राहत मिलने पर डाक्टरों द्वारा छुटटी दे दी गयी थी। घटना की सूचना उसी दिन दिनांक 22.03.2021 को थाना लहरपुर जाकर थाने के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति से बोल बोलकर प्रार्थना पत्र लिखवाया था, लिखने वाले ने मुझे पढकर सुनाया था और प्रार्थना पत्र सुनने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने में दिया था, जिसके आधार पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ था। साक्षी ने शामिल पत्रावली कागज सं0 4क/3 प्रार्थना पत्र देखा व पढकर सुनाया गया तो कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जो मैने थाने पर दिया था, साक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो एवं हस्ताक्षर की पुष्टि किये जाने के पश्चात् प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस वालो ने मेरा बयान लिया था, एवं मेरी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा तैयार किया था।'' साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू02 उमेश** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

'' घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है। तारीख, दिन व साल मुझे नहीं मालूम है, समय शाम के चार बजे का था।। उक्त अभियुक्तगण एक राय होकर मुझसे कहा कि हमारा खेत है और खेत में बोया गन्ना भी हमारा है। जबकि मैंने कहा कि जिसमें गन्ना बोया है वह खेत मेरा है। इसी बात को लेकर वाद–विवाद होने लगा और मैंने गन्ना काटने से मना किया तो उपरोक्त विपक्षीगण ने फावड़े से व लाठी–डण्डों से मुझे मारने पीटने लगे, जिससे मेरे सिर पर काफी चोटे आयी थी। चोटों के कारण मैं मौके पर गिर कर बेहोश हो गया। काफी शोर–शराबा होने पर गाँव के बहुत से लोग व मेरे पिताजी मौके पर पहुँच गये। अभियुक्तगण गाँव के लोगों को व मेरे पिताजी को देख कर भाग गये। भागते हुए अभियुक्तगण को मैंने अपनी आँखों से देखा था। मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर घर पर लाया गया था, फिर गाँव के लोगों ने एम्बुलेन्स बुलायी, जिस पर लादकर मेरे पिताजी साथ में लेकर सरकारी अस्पताल लहरपुर ले गये थे। वहाँ पर मौजूद डॉक्टरों द्वारा मेरी चोटों का प्राथमिक उपचार किया गया, परन्तु मेरी हालत गम्भीर होने के कारण डॉक्टरों ने मुझे जिला अस्पताल सीतापुर रेफर कर दिया। सीतापुर अस्पताल में एक दिन भर्ती करके इलाज किया गया था। सीतापुर जिला अस्पताल में एक्स–रे भी हुआ था। उसके बाद जिला अस्पताल सीतापुर से हालत गम्भीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिये रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज लखनऊ में दो दिन भर्ती करके इलाज किया गया था। लखनऊ में सिर के टाँके भी लगे थे। उसके बाद कुछ राहत मिलने पर डॉक्टों द्वारा छुट्टी दे दी गयी थी। घटना की रिपोर्ट थाने पर मेरे पिताजी ने लिखायी थी। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था।'' साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू03 प्रताप** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''मेरे भाई जगदीश व इस मुकदमें के मुलजिमान राजेश, सर्वेश व विशम्भर के बीच मेड की सीमा का विवाद चल रहा है। दिनांक 22.03.2021 को समय लगभग 4 बजे दिन में उपरोक्त सभी मुलजिमान जो मेरे ही गाँव के निवासी है जो मेरे घर के पडोस में रहते है। जब मेरा भतीजा उमेश अपने खेत में गाँव व अन्य सहयोगियों के साथ गन्ना बो रहा था तो उपरोक्त मुलजिमान एकराय होकर विशम्भर अपने हाथ में फावडा, राजेन्द्र अपने हाथ में लाठी व सर्वेश अपने हाथ में डण्डा लेकर खेत में आये और मेरे भतीजे से कहा कि खेत हमारा है इस खेत में

गन्ना मत बोओ तथा मेरे भाई जगदीश व उमेश ने आपत्ति की तो इसी बात पर उपरोक्त लोगो ने कहा कि उमेश को जान से मार दो यही कहते हुये तीनो लोग एकराय होकर फावडा लाठी व डण्डा लेकर दौडे। फावडे से विशम्भर ने व राजेन्द्र ने लाठी से व सर्वेश ने डण्डे से मेरे भतीजे के ऊपर जान से मारने की नियत से सिर व शरीर पर वार किये, बचाने का प्रयास किया लेकिन सभी लोग जान से मारने की नियत से मारते रहे, जिससे मेरा भतीजे के सिर पर काफी चोटे आयी थी चोटो के कारण वह मौके पर गिर कर बेहोश हो गया था। काफी शोर शराबा होने पर गांव के बहुत से लोग मौके पर पहुँच गये। अभियुक्तगण गांव के लोगो को आते देखकर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये थे, भागते हुये अभियुक्तगणों को मैने अपनी आंखो से देखा था। मेरा भतीजा मरणासन्न अवस्था में था। पहले उसे उठाकर घर पर लाया गया था फिर गांव के लोगो ने एम्बुलेन्स को बुलाया था, जिस पर लादकर मेरे भतीजे को लेकर सरकारी अस्पताल लहरपुर ले गये थे वहां पर मौजूद डाक्टरो द्वारा मेरी चोटो का प्राथमिक उपचार किया था, परन्तु उसकी हालत गम्भीर होने के कारण डाक्टरो ने जिला अस्पताल सीतापुर के लिये रिफर कर दिया था सीतापुर जिला अस्पताल में एक दिन भर्ती करके इलाज किया गया था सीतापुर जिला अस्पताल में एक्सरे भी हुआ था उसके बाद जिला अस्पताल सीतापुर से हालत गम्भीर होने के कारण मेडिकल कालेज लखनऊ के लिये रिफर कर दिया था मेडिकल कालेज लखनऊ में दो दिन भर्ती करके इलाज किया गया था लखनऊ में मेरे भतीजे के सिर में टांके भी लगे थे। उसके बाद कुछ राहत मिलने पर डाक्टरों द्वारा छुटटी दे दी गयी थी। घटना की रिपोर्ट थाने पर मेरे भाई ने लिखायी थी। पुलिस वालो ने मेरा बयान लिया था। '' साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू04 कमल गिरि** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''दिनांक 22.03.2021 के समय दो बजे की घटना है मैं अपने बहनोई प्रताप गिरि के साथ अपने खेत पर गया था। मेरे बहनोई के बड़े भाई जगदीश व विपक्षी विशम्भर से खेत का विवाद व पुरानी रंजिश चली आ रही है। दिनांक 22.03. 2021 को समय 04.00 बजे दिन को विशम्भर, राजेन्द्र व सर्वेश जो मेरे बहनोई प्रताप गिरि के घर के पडोस में रहते है। तब मेरा भांजा उमेश अपने खेत में गाँव व अन्य सहयोगियों के साथ गन्ना बो रहा था तभी उपरोक्त मुलजिमान जिसमें विशम्भर

अपने हाथ में फावडा, राजेन्द्र अपने हाथ में लाठी व सर्वेश अपने हाथ में डण्डा लेकर अपने खेत में आये और मेरे भांजे उमेश गिरि से कहा कि यह खेत हमारा है इसमें गन्ना मत बोओ। जब मेरे बहनोई के भाई जगदीश व भांजा उमेश ने आपत्ति की तो इसी बात पर उपरोक्त लोगो ने कहा कि आज उमेश को जान से मार दो कहते हुये तीनो लोग एकराय होकर अपने–अपने हाथों में लिये हुये हथियारो के साथ मेरे भांजे के उपर ललकारते हुये जान से मारने की नियत से सिर पर व शरीर पर प्रहार कर दिया। जिससे मेरे भांजे के सिर पर काफी चोटे आयी थी चोटो के कारण वह मौके पर गिर कर बेहोश हो गया था। काफी शोर शराबा होने पर गांव के बहुत से लोग मौके पर पहुँच गये। अभियुक्तगण गांव के लोगो को आते देखकर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये थे, मैने सभी अभियुक्तगणों को मारते अपनी आंखो से देखा था। मेरा भांजा उमेश मरणासन्न अवस्था में पडा हुआ था। पहले उसे उठाकर घर पर लाया गया था फिर गांव के लोगो ने एम्बुलेन्स को बुलाया था, जिस पर लादकर मेरे भांजे को लेकर सरकारी अस्पताल लहरपुर ले गये थे वहां पर मौजूद डाक्टरो द्वारा उसकी चोटो का प्राथमिक उपचार किया था, परन्तु उसकी हालत गम्भीर होने के कारण डाक्टरो ने जिला अस्पताल सीतापुर के लिये रिफर कर दिया था सीतापुर जिला अस्पताल में एक दिन भर्ती करके इलाज किया गया था सीतापुर जिला अस्पताल में एक्सरे भी हुआ था उसके बाद जिला अस्पताल सीतापुर से हालत गम्भीर होने के कारण मेडिकल कालेज लखनऊ के लिये रिफर कर दिया था मेडिकल कालेज लखनऊ में दो दिन भर्ती करके इलाज किया गया था लखनऊ में मेरे भतीजे के सिर में टांके भी लगे थे। उसके बाद कुछ राहत मिलने पर डाक्टरों द्वारा छुटटी दे दी गयी थी। घटना की रिपोर्ट थाने पर मेरे बहनोई ने लिखायी थी। पुलिस वालो ने मेरा बयान लिया था।'' साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू05 डा0 इन्द्र सिहं** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''दिनांक 23.03.2021 को जिला चिकित्सालय सीतापुर में वरिष्ठ रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन उमेश गिरि पुत्र जगदीश निवासी ग्राम रतौली थाना लहरपुर, जिला सीतापुर को एक्स–रे हेतु सी०एच०सी० लहरपुर द्वारा संदर्भित किया गया था, जिसका एक्स–रे मेरी देख–रेख में एक्स–रे टेक्नीशियन द्वारा किया गया था, जिसकी एक्स–रे रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी

थी। जिसमें सिर के दाहिनी तरफ की स्कल बोन टूटी पायी गयी थी। एक्स–रे रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पुष्टि के उपरान्त एक्स–रे रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 डाला गया तथा एक्स–रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। पुलिस द्वारा मुझसे पूछताछ की गयी थी।'' साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू06 डा0 समीउददीन खॉ** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

''दिनांक 22.03.2021 को मैं बतौर चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लहरपुर में तैनात था। उस दिन समय 07.50 पी०एम० बजे एक चोटहिल, उमेश गिरि, उम्र लगभग 20 वर्ष, पुत्र श्री जगदीश, निवासी ग्राम रतौली, थाना कोतवाली लहरपुर, जनपद सीतापुर को थाने से पी०आर०डी० हरीश कुमार द्वारा मेरे समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। जिसके निम्न चोटें पायी गयी :–

1. एक फटा हुआ निशान 4 सेमी × 0.3 सेमी, चमड़ी की गहराई तक, जो सिर के दाहिने भाग में कान से लगभग 12 सेमी ऊपर स्थित था। जिसका मार्जिन इरेगुलर था। जिस पर पहले से पट्टी लगी हुई थी। जिसको मैंने एक्स–रे के लिये सलाह दी थी और जिला अस्पताल रेफर किया गया था।

2. एक नीलगू निशान दाहिनी आँख के चारों तरफ था, जिसका आकार 12 सेमी × 9 सेमी था। उसका रंग काला था।

मेरी राय में दोनों चोटों में से चोट सं०–01 साधारण प्रकृति की थी और ताजी थी। चोट सं०–02 में स्कल का एक्स–रे एडवाइज किया गया था। दोनों चोटे ताजी थीं। मजरूब की चिकित्सीय परीक्षण आख्या मेरे हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पुष्टि उपरांत चिकित्सीय रिपोर्ट पर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। '' साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू07 उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिहं** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

'' दिनांक 22.03.2021 को मैं थाना लहरपुर में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उस दिन थाना कार्यालय से मु0अ0सं0 152/2021 अन्तर्गत धारा 323,

506,307 भा0दं0वि0 बनाम विशम्भर पुत्र सोहन पाल, राजेन्द्र व सर्वेश पुत्रगण मोतीलाल निवासी ग्राम रतौली थाना लहरपुर जिला सीतापुर की विवेचना मय दीगर कागजात के साथ प्राप्त हुई। दिनांक 23.03.2021 को पर्चा नं0 1 किता किया गया, जिसमें नकल रपट, नकल चिक व बयान एफ०आई०आर० लेखक, नकल मेडिकल रिपोर्ट उमेश गिरि, बयान वादी व निरीक्षण घटनास्थल, बयान स्वतंत्र साक्षी गणेश द्विवेदी, अशोक द्विवेदी, इकरार, नसीम व अवधेश अंकित किया। शामिल पत्रावली नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पुष्टि करने के उपरान्त नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–4 डाला गया। दिनांक 24.03.2021 को साक्षी द्वारा राजेन्द्र, सर्वेश की गिरफतारी की गई तथा गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी व डण्डे की बरामदगी की गई, जिसकी फर्द के हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि साक्षी द्वारा की गई तथा उसे प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया। साक्षी द्वारा बरामदगी का नक्शा–नजरी अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए उसे प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया गया। साक्षी द्वारा दिनांक 26.03.2021 से दिनांक 25.07.2021 तक पर्चा सं० 03 ता 34 किता किया गया। दिनांक 15.06.2021 को साक्षी द्वारा गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण राजेन्द्र एवं सर्वेश के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जिसके साक्षी के हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की गई तथा जिसे प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया। दिनांक 23.07.2021 को अभियुक्त विशम्भर को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार से निकालकर घटनास्थल के गाँव रतौली से अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त फावडा बरामद कर सील मोहर कर फर्द तैयार की गई, जिसका साक्षी द्वारा उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की गई। फर्द पर सभी सम्बन्धित अभियुक्त गवाहान व हमराही के हस्ताक्षर बनवाये गये । साक्षी द्वारा फर्द को प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया गया। दिनांक 25.07.2021 को अभियुक्त विशम्भर की निशांदेही पर बरामदगी के समय उपस्थित गवाह गुडडू राम व रमाकान्त निवासीगण रतौली व हमराही फर्द गवाह हे0कां0 अवधेश कुमार यादव व हे0कां0 राजबहादुर यादव का बयान अंकित किया गया है एवं अभियुक्त विशम्भर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर उसके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर की पुष्टि की गई। साक्षी द्वारा अनुपूरक आरोप पत्र प्रदर्श क–9 साबित किया गया। बरामद किया गया लाठी, डण्डा व फावड़ा पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1,2,3 डाला गया।'' साक्षी से

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू08 उ0नि0 सूर्य पाल सिहं** द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

'' दिनांक 22.03.2021 को मैं थाना लहरपुर में हे०मो० के पद पर नियुक्त था। उस दिन मेरी ड्यूटी थाना कार्यालय में कार्य लेख पर थी। उस दिन वादी मुकदमा जगदीश गिरि पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम रतौली थाना लहरपुर जिला सीतापुर मय चोटहिल के एक प्रार्थनापत्र लेकर कार्यालय में मेरे समक्ष उपस्थित आया था, जिसके आधार पर मु०अ०सं० 152/2021, धारा 323,506,307 भा०दं०सं० विरूद्ध अभियुक्तगण विशम्भर, राजेन्द्र व सर्वेश के विरूद्ध पंजीकृत किया था। चिक एफ०आई०आर० कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर किता करायी थी, जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर हैं। जिसको मैं प्रमाणित करता हूँ। साक्षी द्वारा चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया। उक्त एफ०आई०आर० का खुलासा रपट नं० 56 दिनांक 22.03.2021 को 18.00 बजे किया था, जो टाइप कराई गई थी, जिसको मैं प्रमाणित करता हूँ। साक्षी द्वारा नकल जी०डी० को प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया गया।'' साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है।

राज्य की ओर से **विद्वान डी.जी.सी.(क्रिमिनल) ने बहस** के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन ने अपना केस पूर्ण रूप से साबित किया है। अभियोजन के तथ्य के साक्षी वादी मुकदमा पी0डब्लू01 एवं पी0डब्लू02 व पी0डब्लू03 व पी0डब्लू04 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से साबित किया है। अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षीगण से बचाव पक्ष द्वारा की गयी विस्तृत जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जो अभियोजन कथानक के प्रतिकूल हो। पी0डब्लू–1 व 2 व 3 व 4 के विश्वसनीय व सत्यनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किया जा सकता है।

विद्वान डी.जी.सी.(क्रिमिनल) ने यह भी कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा घटना के पश्चात् ही तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है जिससे अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता व सत्यता को बल मिलता है तथा उसमें किसी प्रकार की सलाह–मशविरा की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

विद्वान डी.जी.सी.(क्रिमिनल) ने यह भी कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में

वादी मुकदमा के चिकित्सीय परीक्षण से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा के पुत्र को जान से मारने की नियत से फावडे से वार किया गया जिस कारण उसे गम्भीर चोट आयी है। वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है। अभियुक्तगणों के विरूद्ध घटना के तथ्य को सही पाते हुए विवेचक द्वारा उनके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया है। अतः उपरोक्त समस्त आधार पर अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अपना केस युक्तियुक्त सदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित करने की याचना किया है।

अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुए **बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता** ने अभियोजन कथानक को मनगढन्त व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होना बताया तथा अभियुक्तगण के द्वारा कोई अपराध कारित करना नहीं बताया है। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षीगणो ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्यो के साक्षीगण ने अपनी जिरह में घटना का समर्थन नही किया है बल्कि जिरह में पी0डब्लू05 एवं पी0डब्लू06 द्वारा कथन किया गया है कि मजरूब को चोट किसी ठोस चीज पर उचाई से गिरने से आना तथा सामान्य प्रकृति की होना बताया है जिससे कथित घटना संदेहास्पद है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाय।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के तथ्यों के साक्षीगणों के बयानों में महत्वपूर्ण व तात्विक विरोधाभाष है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध एवं अविश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः ऐसे अविश्वसनीय व असत्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध करना न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं होगा। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की याचना किया है।

प्रश्नगत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कथित तिथि, समय व स्थान पर ऐसी घटना घटित हुई जिसमें अभियुक्तगण की उपस्थित व संलिप्तता साक्ष्य से साबित है, जैसा कि अभियोजन कथानक है ? उक्त के सम्बंध में यह भी विचारणीय है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना अस्तित्व में रही है तो क्या अभियोजन इसे पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो से युक्ति युक्ति ढंग से एवं सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

उपरोक्त आवश्यक तत्वों के आलोक में अभियोजन कथानक तथा अभियोजन साक्षीगणों के बयानों का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू01 के रूप में वादी मुकदमा जगदीश गिरि** को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथित घ ाटना की तारीख दिन व साल की जानकारी होने से इंकार किया है तथा साक्षी ने विपक्षीगण/अभियुक्तगण द्वारा फावड़ा व लाठी डण्डो से मारने पीटने से अपने बेटे के सिर पर चोट आने का कथन किया है। साक्षी द्वारा कथित घटना के समय मौके पर गॉव के बहुत से लोगो को पहुचना कहा है। साक्षी द्वारा तहरीर अज्ञात व्यक्ति से बोल बोलकर लिखाये जाने तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना प्रदर्श क–1 के रूप में प्रमाणित किया गया है। जब कि इस साक्षी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लेख किया गया है कि कथित घटना की दिनॉक को तीनो लोग फॉवड़ा लेकर दौड़े और फावड़े से विशम्भर ने उसके लड़के के उपर कई बार जान से मारने की नियत से सिर पर वार किये काफी बचने का प्रयास किया लेकिन मारते रहे जिससे सिर पर काफी गम्भीर चोटे आयी उसका बेटा मरणासन्न हो गया। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित कथनो के परिप्रेक्ष्य में परस्पर विरोधाभाषी कथन किये गये है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **जिरह** की गयी है। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्तगण उसके ही गांव के निवासी है। **घटना का समय उसे याद नहीं है। घटनास्थल पर घटना के समय वह मौजूद नहीं था जबकि मुख्य परीक्षा में साक्षी द्वारा कथित घटना अपने ऑखो से देखा जाना कहा है। आगे साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि राजेन्द्र, सर्वेश, विशम्भर का उसके लड़के उमेश गिरि से खेत के बारे में कोई विवाद नहीं हुआ था। उसने राजेन्द्र, सर्वेश व विशम्भर को उमेश गिरि को फावड़े व लाठी–डण्डों से मारते–पीटते नहीं देखा था और न ही उसने राजेन्द्र, सर्वेश व विशम्भर को भागते हुए देखा था। साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि** उसके लड़के ने उसे अभियुक्तगण के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। **उसका लड़का उमेश गिरि खेत में पड़े फावड़े पर अचानक गिर गया था, जिससे उसे चोटे आ गई थी।** पुलिस को उसने मुल्जिमानों के बारे में नहीं बताया था। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। तहरीर उसने थाने से बाहर बैठे व्यक्ति से लिखाई थी। उसने उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। उसने तहरीर लिखने वाले को अभियुक्तगण का नाम नहीं

बताया था। इस साक्षी द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित तथ्यो एवं अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य दी गयी है जिससे तहरीर में उल्लेखित तथ्यो की विश्वसनीयता तथा कथित घटना अस्तित्व में होना संदेहास्पद हो जाता है। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी कथित घटना का चश्मदीद साक्षी नही है। उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता साबित नही होती है।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू02 के रूप में उमेश गिरि** को परीक्षित कराया गया है, जो कि कथित घटना का चोटहिल है तथा वादी मुकदमा का पुत्र है जिसका साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना में अभियुक्तगण द्वारा फावड़ा व लाठी डण्डो से मारने पीटने से सिर में चोटे आने तथा चोटो के कारण मौके पर गिरकर बेहोश होने का कथन किया गया है। साक्षी द्वारा कथित घटना कारित कर भागते हुये अभियुक्तगण को स्वयं द्वारा देखा जाना कहा है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्तगण उसके ही गाँव के निवासी हैं। घटना का समय उसे याद नहीं है। **घटनास्थल पर घटना के समय मुल्जिमान मौजूद नहीं थे। उक्त अभियुक्तगण से खेत के बारे में कोई विवाद नहीं था। अभियुक्तगण ने उसे लाठी–डण्डों से मारा–पीटा नहीं था और न ही उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। खेत में पड़े फावड़े पर वह अचानक गिर गया था, जिससे उसे चोटे आ गयी थी।** पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। रिपोर्ट में उसके पिताजी ने क्या लिखाया था, उसे नहीं मालूम। साक्षी द्वारा धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान से इंकार किया गया है तथा पुलिस द्वारा अपने सामने कोई फर्द नहीं बनाया जाना कहा है। इस साक्षी के विरोधाभाषी साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है जिससे कथित घटना घटित होने तथा कथित अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता भी साबित नही होती है।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू03 के रूप में प्रताप** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना वाले दिन अभियुक्त विशम्भर द्वारा फॉवडे से व राजेन्द्र द्वारा लाठी से व सर्वेश द्वारा डंडे से अपने भतीजे के उपर जान से मारने की नियत से सिर व शरीर पर वार किये जाने का कथन किया है। जब कि तहरीर प्रदर्श क–1 में कथित घटना की दिनॉक को फावड़े से विशम्भर ने उसके लड़के के उपर कई बार जान से मारने की नियत से

सिर पर वार किये जाने का उल्लेख है। इस साक्षी का साक्ष्य तहरीर एवं मुख्य परीक्षा में किये गये कथनो के विपरीत विरोधाभाषी होने के कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि **अभियुक्तगण उसके ही गांव के निवासी होना तथा घटना का समय याद नहीं होना कहा है तथा कथन किया है कि घटनास्थल पर घटना के समय मुलजिमान मौजूद नहीं थे। अभियुक्तगण से खेत के बारे में कोई विवाद नहीं था। अभियुक्तगण ने उमेश गिरि व जगदीश को लाठी–डण्डों से मारा–पीटा नहीं था और न ही उसके जान से मार देने की धमकी दी थी। खेत में पड़े फावड़े पर उमेश गिरि गिर गया था, जिससे उसे चोटे आ गयी थी।** साक्षी ने पुलिस द्वारा पूछताछ किये जाने तथा बयान अर्न्तगत धारा 161 दं०प्र०सं० से इंकार किया गया है। साक्षी ने पुलिस द्वारा फर्द बनाये जाने से इंकार किया। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है। उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता भी साबित नही होती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू04 के रूप में कमल गिरि** को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना के समय मुल्जिमान विशम्भर के हाथ में फावड़ा व राजेन्द्र के हाथ में लाठी व सर्वेश के हाथ में डण्डा होने व उन्ही हथियारो से अपने भॉजे उमेश गिरि चोटहिल को जान से मारने की नियत से सिर पर व शरीर पर प्रहार किये जाने का कथन किया गया है। साक्षी द्वारा कथित घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित करते हुये देखा जाना कहा है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्तगण उसके ही गाँव के निवासी हैं। घटना उसे याद नहीं है। **घटनास्थल पर घटना के समय मुल्जिमान मैजूद नहीं थे। अभियुक्तगण ने जगदीश व उमेश गिरि को लाठी डण्डों से मारा–पीटा नहीं था और न ही उनको जान से मार देने की धमकी दी थी। खेत में पड़े फावड़े पर उमेश अचानक गिर गया था, जिससे उमेश को चोटे आ गयी थी।** पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। साक्षी द्वारा धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान से इंकार किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन नही होता है जिससे कथित अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नही होती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू05 के रूप में डा0इन्द्र सिहं, मुख्य**

चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सीतापुर को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में चोटहिल उमेश गिरि का एक्सरा अपनी देखरेख में कराये जाने तथा एक्सरे रिपोर्ट में सिर के दाहिनी तरफ की स्कल बोन टूटी होने पाये जाने का उल्लेख किया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी ने स्वीकार किया है कि **स्कल बोन जो टूटी हुई पायी गयी थी। वह किसी ठोस चीज पर ऊँचाई से गिरने से भी आना सम्भव है।** इस साक्षी के चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू06 के रूप में ततकालीन डा0 समीउद्दीन खॉ** को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना के चोटहिल उमेश गिरि का परीक्षण किया गया है जिनके द्वारा चोटहिल की चोट नं01 को साधारण प्रकृति की व ताजी होना कहा है तथा चोट सं02 का एक्सरे एडवाइज किया जाना कहा है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी ने स्वीकार किया है कि चिकित्सीय परीक्षण के समय एक पट्टी पूर्व से बंधी थी, जो कितने समय पूर्व से बंधी थी, इसका उल्लेख चिकित्सीय रिपोर्ट में नहीं है। परीक्षण के समय उपरोक्त दर्शित चोटें कितनी पुरानी थी, उसका उल्लेख नहीं किया है। चोटे ताजी होना तथा **उक्त चोटे किसी ठोस चीज पर गिरने से आना सम्भव होना बताया है।** इस साक्षी के चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू07 उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिहं** को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा प्रश्नगत मामले की विवेचना की गयी है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, कथित घटना में प्रयुक्त लाठी व डण्डे की फर्द बरामदगी को फर्द प्रदर्श क–5 एवं बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी को प्रदर्श क–6 एवं अभियुक्त राजेन्द्र एवं सर्वेश के विरूद्व प्रेषित आरोप पत्र को प्रदर्श क–7 एवं घटना में प्रयुक्त फावड़ा के बरामदगी से सम्बंधित फर्द को प्रदर्श क–8 एवं अभियुक्त विशम्भर के विरूद्व प्रेषित आरोप पत्र को प्रदर्श क–9 के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है जिरह में साक्षी ने अभियुक्तगण की निशादेही पर कथित बरामदगी को स्वीकार किया है। साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता

के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि उनके द्वारा जगदीश गिरि व उमेश गिरि का कोई बयान न लिया गया हो और जो बरामदगी दिखायी गयी है, वह गलत तरीके से दिखायी गयी हो। उसके द्वारा आरोप पत्र गलत तरीके से दाखिल किया गया हो। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है जिसके साक्ष्य से मात्र अभियोजन प्रपत्रो की प्रमाणिकता प्रमाणित होती है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यो के साक्षीगणो ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को नही दिया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू08 के रूप में उ0नि0 सूर्य पाल सिहं** को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन प्रपत्र चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–10 एवं नकल जी0डी0 को प्रदर्श क–11 के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवकता द्वारा जिरह की गयी है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है जिसके साक्ष्य से मात्र अभियोजन प्रपत्रो की प्रमाणिकता प्रमाणित होती है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यो के साक्षीगणो ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के बयान का कोई लाभ अभियोजन को नही दिया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में वर्तमान मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की उपरोक्त समीक्षा से न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण राजेन्द्र एवं सर्वेश एवं अभियुक्त विशम्भर द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र उमेश गिरि को लाठी डण्डो से मारने तथा जान से मारने की नियत से फॉवडा से सिर पर वार किये जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण राजेन्द्र एवं सर्वेश एवं अभियुक्त विशम्भर आरोपित आरोप से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त राजेन्द्र एवं सर्वेश को धारा 323/34, 307/34, 506 भा0द0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त विशम्भर को धारा 323/34, 307, 506 भा0द0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

CNR:UPSI010043572021

District & Sessions Judge
Sitapur.

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामें व व्यक्तिगत बंध पत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांकः 03.07.2026

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।
(J.O.Code UP02024)

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 03.07.2026

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।
(J.O.Code UP02024)

अजीत.